फा. सं. - 12/2/2017-स्था.(वेतन-I)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 5 अगस्त, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सातवें सीपीसी के परिदृश्य में एफआर 22-ख (1) के तहत सीधी भर्ती द्वारा केंद्र सरकार में विभिन्न सेवा अथवा संवर्ग में किसी नये पद पर नियुक्ति जहाँ उच्चतर कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ शामिल हैं अथवा नहीं जैसा भी मामला हो, के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संरक्षण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एफआर 22-ख(1) के तहत वेतन के संरक्षण पर प्राप्त विभिन्न संदर्भों के परिणास्वरूप उन केंद्रीय कर्मचारियों के संदर्भ में वेतन निर्धारण के तरीके पर दिशानिर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता महसूस हुई है जो तकनीकी त्यागपत्र देने के पश्चात् केंद्र सरकार में अलग सेवा अथवा संवर्ग में नए पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जहाँ सातवें वेतन आयोग के परिदृश्य में चाहे उच्च जिम्मेदारियाँ शामिल हैं अथवा नहीं, जैसा भी मामला हो ।

2. एफआर 22-ख(1) के प्रावधान अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबंध करते हैं :-

"**एफआर 22-ख(1)** यद्यपि इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी निम्नलिखित प्रावधान उस सरकारी कर्मचारी के वेतन को शासित करेंगे जो किसी अन्य सेवा अथवा संवर्ग में परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में नियुक्त किए जाते हैं और बाद में उस सेवा अथवा संवर्ग में स्थायी कर दिए जाते हैं, जैसा भी मामला हो -

(क) परिवीक्षा की अवधि के दौरान वह न्यूनतम समय स्केल पर अथवा उस सेवा या पद के समय स्केल पर परीवीक्षाधीन चरणों में जैसा भी मामला हो, वेतन आहरित करेगा ।

बशर्ते कि यदि उस स्थायी पद का प्रकल्पित वेतन, जिस पर वह धारणाधिकार रखता है अथवा धारणाधिकार धारण करेगा, यदि उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं किया गया तो किसी भी समय पर धारा के तहत निर्धारित वेतन से अधिक होगा, वह स्थायी पद का अनुमानित वेतन आहरित करेगा;

(ख) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने के पश्चात् सेवा या पद में पुष्टि होने पर सरकारी कर्मचारी का वेतन सेवा या पद के समय-स्केल में नियम 22 अथवा नियम 22-ग के प्रावधानों के अनुसार जैसा भी मामला हो, निर्धारित किया जाएगा....."

3. राष्ट्रपति, सातवीं सीपीसी रिपोर्ट और सीसीएस (आरपी) नियमावली 2016 के कार्यान्वयन के परिणास्वरूप केंद्र सरकार के उस कर्मचारी को जो अन्य सेवा अथवा संवर्ग में परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्त हुआ है चाहे उच्च जिम्मेदारियां निभा रहा है अथवा नहीं, जैसा भी मामला हो, तथा बाद में उस सेवा या संवर्ग में स्थायी कर दिया गया हों, एफ आर 22-ख(1) के तहत प्रावधानों के आलोक में वेतन संरक्षण नीचे दिए गए तरीकों द्वारा प्रदान करते हैं:

(क) सीधी भर्ती के माध्यम से निचले पदों, जहाँ उच्चतर कार्य और दायित्व शामिल नहीं हैं, के परिणामस्वरूप नियम एफ.आर. 22-ख(1) के अधीन सरकारी सेवक के वेतन निर्धारण की रीति

एक केन्द्रीय सेवा कर्मी, जिसे केन्द्र सरकार में विभिन्न सेवा या संवर्ग में निचले स्तर में ऐसे पद पर नियुक्ति पर, जिसमें पूर्व में उसके द्वारा धारण किए गये पदों से संबंधित अपेक्षाकृत अधिक महत्व के कार्य एवं दायित्व शामिल नहीं हैं और जिसमें नए पद में परिवीक्षा अवधि का प्रावधान है, वह परिवीक्षा के दौरान पूर्व में नियमित आधार पर धारण किये गये पद के समकक्ष प्रकल्पित वेतन प्राप्त कर सकता है, यदि यह नये पद के टाइम स्केल के न्यूनतम से अधिक हो। वह ऐसे प्रकल्पित वेतन पर वार्षिक वेतन वृद्धि भी प्राप्त करेगा। फिर भी, यह सुनिश्चित किया जाना है कि परिवीक्षा के दौरान वेतन वृद्धि (वृद्धियों) के आहरण के बाद नए पद के वेतन से प्रकल्पित वेतन अधिक होना चाहिए। तत्पश्चात्, परिवीक्षा की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद, उसका वेतन एफ.आर. 22(I)(क)(2) के अधीन तय होगा।

इनमें से किसी भी चरण में उपर्युक्त तरीके से दी गई वेतन सुरक्षा, वेतन मैट्रिक्स में नये पद के स्तर के अधिकतम से अधिक नहीं होनी चाहिए।

<u>उदाहरण</u>

एक अधिकारी 01.04.2018 को स्तर 10 में किसी पद पर, जो उसके द्वारा ऐसी नियुक्ति से पूर्व धारण किये गये पद की तुलना में अधिक महत्व के कार्यों और दायित्वों को रखने वाली नहीं है, अपनी नियुक्ति के पूर्व स्तर 11 में प्रकोष्ठ 6 में 78,500 रु. का वेतन प्राप्त कर रहा है। नये पद में 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि का प्रावधान है।

चूंकि स्तर 10 में पहला सेल मूल्य (रु. 56,100) स्तर 11 में अंतिम मूल वेतन अर्थात् 78,500 रु. से कम है। इसलिए परिवीक्षा के दौरान, वह स्तर 11 में प्रकल्पित वेतन अर्थात् 78,500 रु. प्राप्त करेगा और वह स्तर 11 में अपने पिछले पद के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि भी आहरित करेगा।

01.04.2018 को - 78,500 रु. (स्तर 11)
01.07.2018 को - 80,900 रु. (स्तर 11)
01.07.2019 को - 83,300 रु. (स्तर 11)

परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने और दिनांक 01.04.2020 से स्थायीकरण होने पर, अधिकारी का वेतन एफ.आर. 22(I)(क)(2) के अधीन निर्धारित होगा। क्योंकि स्तर 10 में 83,300/- रु. का ऐसा प्रकोष्ठ (सेल) उपलब्ध नहीं है, उसका वेतन अगले उच्चतर प्रकोष्ठ अर्थात् स्तर 10 में प्रकोष्ठ 15 में 84,900 रु. पर तय होगा, वेतन वृद्धि की अगली तिथि 01.01.2021 होगी।

(ख) सीधी भर्ती के माध्यम से उच्चतर स्तर के किसी पद पर, जहाँ उच्चतर कार्य और दायित्व शामिल हैं, नियुक्ति के परिणामस्वरूप एफ.आर. 22-ख(1) के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन निर्धारण की रीति

एक केन्द्रीय सेवा कर्मी, केन्द्र सरकार में विभिन्न सेवा या संवर्ग में उच्चतर स्तर पर अपनी ऐसी नियुक्ति, जिसमें ऐसी नियुक्ति के पूर्व नियमित आधार पर उसके द्वारा धारण किये गये पद की तुलना में अधिक महत्व के कार्य एवं दायित्व शामिल हैं और जहाँ नये पद में परिवीक्षा अवधि का प्रावधान है, वह परिवीक्षा के दौरान नियमित आधार पर धारण किए गए पिछले पद का प्रकल्पित वेतन प्राप्त कर सकता है, यदि वह वेतन नये पद के टाइम स्केल के न्यूनतम से अधिक हो। वह ऐसे प्रकल्पित वेतन पर वार्षिक वेतन-वृद्धि भी प्राप्त करेगा। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिवीक्षा के दौरान प्रकल्पित वेतन, हमेशा वेतन वृद्धि (वृद्धियों) के आहरण के

21/08/18

बाद नये पद के वेतन से अधिक होना चाहिए। तद्नुसार, अपनी परिवीक्षा को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने पर उसका वेतन एफ.आर. 22(I)(क)(1) के तहत निर्धारित होगा।

उक्त तरीके से वेतन की सुरक्षा, इनमें से किसी भी चरण में, वेतन मैट्रिक्स में नये पद के अधिकतम स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उदाहरण

एक अधिकारी 01.04.2018 को स्तर 10 (वेतन वृद्धि की अगली तिथि 01.07.2018 के साथ) में अपनी नियुक्ति के पूर्व स्तर 7 के प्रकोष्ठ 10 में रु. 58,600 का वेतन प्राप्त कर रहा था, जो ऐसी नियुक्ति के पूर्व नियमित आधार पर उसके द्वारा धारण किए गये पद की तुलना में अधिक कार्य एवं दायित्व का वहन करता है। नये पद में 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि का प्रावधान है।

चूंकि स्तर 10 का प्रथम प्रकोष्ठ मूल्य/सेल वैल्यू (56,100 रु.) स्तर 7 के प्रकोष्ठ 10 में आहरित किए गए अंतिम मूल वेतन अर्थात् 58,600 रु. से कम है, अतः परिवीक्षा के दौरान, वह अपने द्वारा पूर्व में नियमित आधार पर धारण किए गये पद के प्रकल्पित वेतन को आहरित करेगा और अपने पिछले पद के स्तर 7 की वार्षिक वेतन वृद्धि भी प्राप्त करेगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

01.04.2018 को - 58,600 रु. (स्तर 7)
01.07.2018 को - 60,400 रु. (स्तर 7)
01.07.2019 को - 62,200 रु. (स्तर 7)

अपनी परिवीक्षा अवधि के सफल समापन पर और दिनांक 01.04.2020 से स्थायीकरण होने पर, अधिकारी का वेतन सी.सी.एस. (आर.पी.) नियमावली, 2016 के विनियम 13 के साथ पठित एफ.आर. 22(I)(क)(1) के तहत निर्धारित किया जाएगा। तद्नुसार, स्तर 7 में उसके वेतन में एक वेतन वृद्धि जुड़ जाएगी और उसका वेतन 64,100/- रु. पर पहुँच जाएगा। क्योंकि, स्तर 10 में 64,100/- रु. के समकक्ष कोई सेल वैल्यू उपलब्ध नहीं है, उसका वेतन स्तर 10 के प्रकोष्ठ 6 में 65,000 रु. पर निर्धारित होगा, वेतन वृद्धि की अगली तिथि 01.01.2021 होगी।

(ग) सीधी भर्ती के माध्यम से समकक्ष स्तर के एक पद पर, जहाँ उच्चतर कार्य और दायित्व शामिल नहीं हैं, नियुक्ति के परिणामस्वरूप एफ.आर. 22-ख(1) के अंतर्गत किसी केंद्रीय सेवा के कर्मचारी के वेतन निर्धारण का तरीका

केन्द्र सरकार में अलग-अलग सेवा अथवा संवर्ग में सीधी भर्ती के माध्यम से समान स्तर के पद पर, जहाँ उच्चतर कार्य एवं दायित्व शामिल नहीं है और जहाँ नये पद में परिवीक्षा अवधि का प्रावधान है, किसी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी की नियुक्ति होने पर वह पूर्व में अपने द्वारा नियमित आधार पर धारण किए गए पद का प्रकल्पित वेतन प्राप्त करेगा। वह ऐसे प्रकल्पित वेतन पर वेतन वृद्धि भी प्राप्त करेगा। अपनी परिवीक्षा की सफल समाप्ति पर उसका वेतन एफ.आर. 22(I)(क)(2) के अधीन निर्धारित होगा। हालांकि उपर्युक्त तरीके से वेतन सुरक्षा, इनमें से किसी भी चरण पर, वेतन मैट्रिक्स के नये पद के अधिकतम स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उदाहरण

एक अधिकारी दिनांक 01.04.2018 को समान स्तर 7 (वेतन वृद्धि की अगली तिथि 01.07.2018 के साथ) में अपनी नियुक्ति से पहले लेवल 7 के सेल 10 में 58,600 रुपये का वेतन आहरित कर रहा था। नए पद पर 2 साल की परिवीक्षा अवधि का प्रावधान है।

चूंकि लेवल 7 (44,900 रुपये) की पहली सेल वैल्यू सरकारी कर्मचारी द्वारा आहरित किए गए लेवल 7 में पिछले मूल वेतन अर्थात् 58,600 रुपये से कम है, इसलिए परिवीक्षा के दौरान वह प्रकल्पित वेतन का आहरण करेगा और नीचे दिखाए गए अनुसार अपने पिछले पद के समान स्तर पर अपनी वेतन वृद्धियों को भी प्राप्त करेगा:-

01.04.2018 को- 58,600 रुपये (लेवल 7)
01.07.2018 को - 60,400 रुपये (लेवल 7)
01.07.2019 को- 62,200 रुपये (लेवल 7)

उसकी परिवीक्षा अवधि के सफल समापन पर और दिनांक 01.04.2020 से स्थायीकरण होने पर, अधिकारी का वेतन एफआर 22 (I) (क) (2) के तहत तय किया जाएगा। चूंकि एफआर 22 (I) (क) (2) के तहत कोई वेतन वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी, इसलिए पुष्टि की तारीख अर्थात् 01.04.2020 को उसके वेतन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तदनुसार, 01.04.2020 को लेवल 7 में उनका वेतन 62,200 रुपये (लेवल 7) होगा, वेतन वृद्धि की अगली तारीख 01.07.2020 होगी, क्योंकि स्तर समान है।

4. एफआर 22-ख (1) के तहत उपर्युक्त वेतन संरक्षण सरकारी कर्मचारी को तब उपलब्ध होगा, यदि वह अपने पिछले स्थायी पद पर ग्रहणाधिकार रखता है।

5. उस विशेष सेवा/संवर्ग के कनिष्ठ सरकारी कर्मचारियों को एफआर 22-ख (1) के तहत दिए गए वेतन संरक्षण के आधार पर वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी के वेतन में किसी स्टेपिंग अप की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. यह आदेश दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होता है।

7. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों के लिए इन आदेशों के लागू होने में, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श के बाद जारी किए जाते हैं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 148 (5) के तहत अधिदेश दिया गया है।

8. इस कार्यालय ज्ञापन के हिंदी व अंग्रेजी रूप के किसी प्रावधान में विरोधाभास की परिस्थिति में अंग्रेजी रूप में वर्णित प्रावधान ही मान्य होंगे।

(राजीव बाहरी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित :

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक।
2. भारत के उच्चतम न्यायालय के महासचिव।
3. महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।
4. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केंद्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/नीति आयोग।

5. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (एआईएस अनुभाग)/जेसीए/प्रशा. अनुभाग।
7. सचिव, राष्ट्रीय परिषद जेसीएम (कर्मचारी पक्ष), 13 सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
8. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य/विभागीय परिषद।
9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग/पेंशन एवं पेंशनभागी कल्याण विभाग/पीईएसबी के सभी अधिकारी/अनुभाग।
10. संयुक्त सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय।
11. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय।

(राजीव बाहरी)
अवर सचिव, भारत सरकार